हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

चर्चा में क्यों?

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता **हेमंत सोरेन** 28 नवंबर 2024 को **झारखंड के नए** मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

प्रमुख बिंदु

- **राज्यपाल का निर्णय:**
- राज्यपाल **ने** हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त किया तथा नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने को कहा।
- **राज्यपाल की भूमिका (अब LG):**
- अनुच्छेद 164 के तहत, राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **राज्यपाल ऐसी सरकार का गठन सुनिश्चित करता है** जिसे विधानमंडल में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।
- **पद की शपथ:**
- **अनुच्छेद 164(3)** के अनुसार, किसी राज्य के **राज्यपाल को किसी मंत्री को** पद ग्रहण करने से पहले **पद और गोपनीयता की शपथ दिलानी चाहिये।**
- यह शपथ संविधान के प्रति निष्ठा और विधि के अनुसार कर्त्तव्यों के निर्वहन का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति

- संविधान के **अनुच्छेद 164** में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
  - **विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त** करने वाली पार्टी के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है।
  - राज्यपाल **नाममात्र का कार्यकारी अधिकारी** है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है।
  - हालाँकि, राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती हैं।
- **किसी ऐसे व्यक्ति को, जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, छह माह के लिये मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है,** जिसके दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिये निर्वाचित होना चाहिये अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रह जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hemant-soren-to-take-oath-as-jharkhand-cm